

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

| वादीगण  | बनाम | प्रतिवादीगण   |
|---|------|---|
| उम्मेदसिंह पुत्र शैतानसिंह<br>जाति राजपूत, निवासी कोटडा<br>तहसील शिव, जिला बाडमेर |      | गणपतसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत<br>निवासी कोटडा तहसील शिव, जिला बाडमेर<br>वगैरह (10) |

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88 व 188)

मुकदमा नम्बर 27/2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|--|
|------------|-----------------------------------|--|

17.02.2025

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 16/04/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(SAC) शिव

सम्मन जारी  
1325  
17.2.25

उम्मेदसिंह  
वादी  
पत्रावली  
10/3/25  
Ad

पत्रावली प्राप्त वादी अधिवक्ता की ओर से पत्रावली तलब करने एवं त्वरीत सुनवाई की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की गयी, वादी मय वादी वकील तथा प्रतिवादी से. 01 से 04 तथा 6 से 8 स्वयं और प्रतिवादी से. 01 से 08 के वकील ईश्वर सिंह उप०, कालनामा पेश किया, जो शासित सिद्ध है, उपर्युक्त पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी से. 01 से 08 मय अधिवक्ता उपर्युक्त होकर लोक अदालत तथा मौखिक व्यक्तियों की उपर्युक्त से राजीनामा हो जाने से प्राप्त राजीनामा प्रस्तुत किया तथा राजीनामा अनुसार हिसा घोषित

मामुल  
६९,२०/२२  
रजिस्ट्रिड  
मामुल  
जोहराकरिड

मिनी पंचाल  
रजिस्ट्रिड  
मामुल  
Ad



करने का निवेदन किया, प्राथमिकता के  
उक्त राजीनामा मा. पत्र को स्वीकार  
किया जाता है। पश्चावली वारंत राजीनामा  
अनुसार अंतिम डिक्री हेतु दि. 17/3/2025  
को पेश हो,

सहायक कलक्टर  
(स.स.)

17/3/2025 पश्चावली भाष्य पेश हुई, उभय  
पक्षकार वकील उम. उमम पक्षकारान द्वारा  
दि. 10/3/2025 को राजीनामा प्रस्तुत कर  
राजीनामा अनुसार सौजा कोटा तह. शिव के  
ख. नं. 949, 950 व 951 रकबा कमरा 0.0405,  
0.0324 व 2.9380 हेक्टर भूमि से वादी का  
1/6 हिस्सा, प्रतिवादी खं. 01 से 03 का 1/6 हिस्सा,  
प्रतिवादी खं. 04 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी खं. 05 का  
1/6 हिस्सा, प्रतिवादी खं. 06 का 1/6 हिस्सा तथा  
प्रतिवादी खं. 07 व 08 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा  
दोषित किसे जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।  
लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर गाम  
के कोटा के खेत खं. नं. 949, 950 व 951 रकबा  
कमरा 0.0405, 0.0324 व 2.9380 हेक्टर भूमि से  
वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी खं. 01 से 03 का 1/6 हिस्सा,  
प्रतिवादी खं. 04 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी खं. 05 का 1/6 हिस्सा,  
प्रतिवादी खं. 06 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी खं. 07  
व 08 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दोषित

सहायक कलक्टर



किमा जाता है। अनुसार डिबी पर्चा जारी हो,  
लहरीयदार शिव डिबी पर्चा अनुसार राजस्व  
रेकॉर्ड्स में अमलद्वारा किमा जाना सुनिश्चित  
करें। पहावली जैलाल कुमार होकर नम्बर से  
का होकर हासिल होफार हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव